

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112020-222980 CG-DL-E-05112020-222980

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3535]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2020/कार्तिक 14, 1942

No. 3535]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2020/KARTIKA 14, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

का.आ. 4014(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश, 2020 (2020 का 13), (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अध्यादेश" कहा गया है,) की धारा 3 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु एक निकाय का गठन करती है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग के नाम से जाना जाएगा।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग का गठन निम्नानुसार होगा:-

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	डॉ एम एम कुट्टी, पूर्व सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	पूर्णकालिक अध्यक्ष
2.	श्री अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	पूर्णकालिक सदस्य
3.	प्रो मुकेश खरे, आईआईटी, दिल्ली	पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य
4.	श्री रमेश के जे, पूर्व महानिदेशक, आईएमडी	पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य

	गैर सरकारी संगठन के सदस्य		
5.	डॉ अजय माथुर, महानिदेशक, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य	
6.	श्री आशीष धवन वायु प्रदूषण एक्शन ग्रुप	सदस्य	
	पदेन सदस्य		
7.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा	सदस्य	
8.	दिल्ली राज्य में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव	' सदस्य	
9.	पंजाब राज्य में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव	सदस्य	
10.	हरियाणा राज्य में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव	सदस्य	
11.	राजस्थान राज्य में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव	सदस्य	
12.	उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य सचिव अथवा पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी सचिव	सदस्य	
13.	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव अथवा सलाहकार के पद के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा	सदस्य	
14.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक तकनीकी सदस्य	तकनीकी सदस्य	
15.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मनोनीत किए जाने वाला एक तकनीकी सदस्य	तकनीकी सदस्य	

3. अध्यक्ष और सदस्य अध्यादेश की धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

[फा. सं. क्यू-15014/01/2020-सीपीए] अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2020

- S.O. 4014(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020 (13 of 2020) (hereafter in this notification referred to as the 'Ordinance'), the Central Government hereby constitutes a body to be known as the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under the said Ordinance.
- 2. The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas shall comprise of the following Members in terms of qualification prescribed under sub-Section (2) of section 3 of the Ordinance, namely:-

Sl. No.	Name	Designation
1.	Dr. M. M. Kutty, Ex-Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas	Full-time Chairperso
2.	Shri Arvind Kumar Nautiyal, Joint Secretary, MoEFCC	Full-time Member
3.	Prof. Mukesh Khare, IIT, Delhi	Full-time Technical Member
4.	Shri Ramesh K. J., Ex-Director General, IMD	Full-time Technical Member
	Members from Non-Government Organisations	
5.	Dr Ajay Mathur, Director General, The Energy Research Institute, New Delhi	Member
6.	Shri Ashish Dhawan Air Pollution Action Group	Member
	Ex officio Members	
7.	Representative of Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Joint Secretary	Member
8.	Member who is either Chief Secretary, or Secretary in-charge of the department dealing with environment protection, in the State of Delhi	Member
9.	Member who is either Chief Secretary, or Secretary in-charge of the department dealing with environment protection, in the State of Punjab	Member
10.	Member who is either Chief Secretary, or Secretary in-charge of the department dealing with environment protection, in the States of Haryana	Member
11.	Member who is either Chief Secretary, or Secretary in-charge of the department dealing with environment protection, in the State of Rajasthan	Member
12.	Member who is either Chief Secretary, or Secretary in-charge of the department dealing with environment protection, in the State of Uttar Pradesh	Member
13.	Representative of the National Institution for Transforming India, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or Adviser	Member
14.	Technical member from the Central Pollution Control Board	Technical Member
15.	Technical member from the Indian Space Research Organisation	Technical Member

3. The Chairperson and Members shall hold the office for a term as specified in section 6 of the Ordinance.

[F. No. Q-15014/01/2020-CPA] ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.